91

न्यायालय में श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर
खण्डपीठ- रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA TEN RUPEES CANCELLED
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA TEN RUPEES CANCELLED

कमिश्नर शहडोल
शहडोल (म.प्र.)
7 APR 2012
कमिश्नर

जयपाल पिता धर्मदास गोड़ निवासी-सिचौरा, तह0- CF ₹ 20/-
जयसिंहनगर जिला-शहडोल (म0प्र0)- - - - निगरानीकर्ता

ब ना म

R-1101-II/12

1. रामखेलावन पिता महावीर गुप्ता,
2. शिवप्रसाद पिता रामाधीन गुप्ता,
3. विनोद कुमार पिता शिवप्रसाद गुप्ता,
सभी निवासी ग्राम-छकता, तह0-जयसिंहनगर
जिला-शहडोल (म0प्र0) - - - - - - - उत्तरवादीगण
4. म0प्र0 शासन

श्री आर.के. त्रिवेदी
आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
203 16/4/2012
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

राजस्व निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय
अपर कलेक्टर शहडोल, जिला-शहडोल (म0प्र0)
बसिलसिले राजस्व प्र. क्रं. 11/अपील/अ-23/
2011-12 आदेश दि0- 22.3.012 एवं
न्याया0 अनु0 अधिकारी जयसिंहनगर
जिला- शहडोल का प्र. क्रं. 2अ-23/05-06
आदेश दि0- 3.8.07

क्रमांक 1032
द्वारा आज
23-4-12 को प्राप्त
23-4-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानी कर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी- जयसिंहनगर के न्यायालय में मौजा- सिचौरा, तहसील-जयसिंहनगर स्थित आराजी खसरा नं. 63/0.66, 64/0.66, 149/0.71

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1101-दो/2012

जिला-शहडोल

जयपाल गोड़ विरूद्ध रामखेलावन गुप्ता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019 [signature] 22/01/19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक- 11/अपील/अ-23/2011-12 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 22-03-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-04-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होनें के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 22/01/19
सदस्य